

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2


संख्या-1008/ग्यारह-2-22-9(47)/17-टी.सी.201-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(254)-2022

लखनऊ: दिनांक: 17 नवम्बर, 2022

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2017) की धारा 1 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, एतद्द्वारा 01 अक्टूबर, 2022 को ऐसी तारीख नियत करती हैं, जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 12 के खंड (ग) और धारा 13 के सिवाय धारा 2 से 15 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

आज्ञा से,



(नितिन रमेश गोकर्ण)

प्रमुख सचिव